

उपस्थिति :- यथापंजी।

पैक्स निर्वाचन, 2014 का निर्वाचन जहानाबाद जिले में दो चरणों में निर्धारित है, जिसके लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर निर्वाचन के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में निम्नवत समीक्षा की गई :-

जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना से पैक्स निर्वाचन, 2014 के संबंध में प्राप्त कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार उनके द्वारा कार्य किया जा सके।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के अधिसूचना संख्या 1336, दिनांक 22.09.2014 के द्वारा पैक्स निर्वाचन, 2014 के निर्वाचन तिथि के कार्यक्रम में संशोधन के उपरांत निम्न कार्यक्रम प्राप्त हुये हैं :-

क्र०	जिला	पाँचवा चरण	छठा चरण
		15.10.2014	19.10.2014
		प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड का नाम
1	जहानाबाद	1. जहानाबाद 2. मखदुमपुर 3. रतनी फरीदपुर	1. घोसी 2. हुलासगंज 3. मोदनगंज 4. काको

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के अधिसूचना संख्या 597, दिनांक 12.08.2014 के द्वारा पैक्स निर्वाचन हेतु प्राप्त विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है :-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	पाँचवा चरण	छठा चरण
1	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	01.09.2014 (सोमवार)	01.09.2014 (सोमवार)
2	नामांकन देने की अवधि	24-27 सितम्बर, 2014	29-30 सितम्बर एवं 08 अक्टूबर, 2014
3	संवीक्षा की तिथि	29.09.2014 (सोमवार)	09.10.2014 (गुरुवार)
4	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीत आवंटन की तिथि	30.09.2014 (मंगलवार)	10.10.2014 (शुक्रवार)
5	मतदान	15.10.2014 (बुधवार)	19.10.2014 (रविवार)
6	मतगणना	16.10.2014 (गुरुवार)	20.10.2014 (सोमवार)
7	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	18.10.2014	27.10.2014

2. मतदाता सूची का अद्यतीकरण :-

- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में मतदाता सूची, 2014 का अद्यतीकरण करना सुनिश्चित करें। इसे वर्ष 2009 के मतदाता सूची से निश्चित रूप से मिलान भी कर लेंगे तथा जिन व्यक्तियों का नाम काटा गया है, उसकी जाँच करना भी सुनिश्चित करेंगे।
- दिनांक 24.09.2014 को निश्चित रूप से अद्यतन मतदाता सूची, 2014 की प्रति जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद/ जिला सहकारिता कार्यालय, जहानाबाद एवं अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद को हार्ड एवं नाफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

